

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश

(भूतल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in

E-mail: ayushmission.mp@mp.gov.in

Office(0755) 2763044

Fax - (0755) 2760225


क्रमांक- 3084/2022

दिनांक 19/04/2022

-शुद्धि पत्र-

संचालनालय आयुष के विज्ञापन क्रमांक 2763/2022 दिनांक 08.04.2022 द्वारा विज्ञापित पदों आयुष सी.एच.ओ. (आयुर्वेद), आयुष सी.एच.ओ. (होम्योपैथी), आयुष सी.एच.ओ. (यूनानी) एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर हेतु कॉलम-5 में उल्लेखित आयुसीमा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियम "मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी संविदा सेवक (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम-2018" की अनुसूची-2 में उल्लेखित टीप- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक दिनांक 12 मई, 2017 के अनुसार मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के लिए सीधी भर्ती के पदों हेतु उल्लेखित आयु सीमा अनुसार रहेगी।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


(डॉ. मोहम्मद फारुक)
उप संचालक
संचालनालय आयुष, म.प्र.

टीप- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/3-एक दिनांक 12 मई, 2017 के अनुसार मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए सीधी भर्ती के पदों हेतु आयु-सीमा में अधिकतम छूट निम्नानुसार होगी:-

अनुक्रमांक	भर्ती का तरीका	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एम.एच.) राजपत्रित/अराजपत्रित/कार्यपालिक पदों के लिए	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एम.एच.) तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
(1)	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28+12=40	25+15=40
(2)	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28+17=45	25+20=45
(3)	पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28+17=45	25+20=45
(4)	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	28+17=45	25+20=45
(5)	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28+17=45	25+20=45
(6)	निःशक्तजन आवेदकों के लिए	28+17=45	25+20=45

प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।

- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य है।